



विद्या विकास समिति, झारखण्ड

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध)

शुक्ला कॉलोनी, हिन्नु, पत्रा०-डोरण्डा, राँची - 834002

E-mail - vvs.jharkhand@yahoo.com, vidyavikas1@dataone.in Web - http://vvsjharkhand.org.in

पत्रांक : VVS/ 2661-2664/21-22

दिनांक : 21/03/2022

प्रतिष्ठा में,

अध्यक्ष महोदय,

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगंडा, गिरिडीह

विषय :- विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति का पुनर्गठन।

मान्यवर,

उपर्युक्त प्रसंग में सूचित करना है कि आपके विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति का पुनर्गठन जिस रूप में किया गया उसकी यथावत् संपुष्टि करते हुए स्वीकृति दी जाती है। समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची निम्नवत् है -

क्रम	नाम	पद
1.	श्री संजय राजगढ़िया	- अध्यक्ष
2.	डा. सतीश्वर प्रसाद सिन्हा	- उपाध्यक्ष
3.	डा. पवन कुमार मिश्रा	- सचिव
4.	श्री राकेश कुमार	- सह-सचिव
5.	श्री प्रभात सेठी	- कोषाध्यक्ष
6.	श्री ओम प्रकाश सिन्हा, जिला निरीक्षक	- प्रांतीय प्रतिनिधि
7.	श्री तुलसी प्रसाद ठाकुर, प्रवासी कार्यकर्ता	- प्रांतीय प्रतिनिधि
8.	श्री लक्खी चंद किस्कू	- अभिभावक प्रतिनिधि
9.	श्री दीपक कुमार शर्मा	- सदस्य
10.	श्रीमती डा. पुष्पा सिन्हा	- सदस्य
11.	श्री नरेन्द्र सिंह सलूजा	- सदस्य
12.	श्री उमेश कुमार सिन्हा	- सदस्य
13.	डा. रवि महर्षि	- सदस्य
14.	श्री रामजी प्रसाद राम	- सदस्य
15.	श्री मनोज कुमार छपरिया	- सदस्य
16.	श्री उपेन्द्र नाथ चौबे, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय	- सदस्य (शिक्षाविद्)
17.	श्री जानकी साव, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय	- सदस्य (शिक्षाविद्)
18.	प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगंडा, गिरिडीह	- पदेन सदस्य

इस समिति का कार्यकाल दिनांक 11.03.2022 से 10.03.2024 तक दो वर्षों के लिए होगा। विद्यालय के बैंक खाता का संचालन सचिव, कोषाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य द्वारा होगा तथा राशि की निकासी किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

अतः संबंधित बैंक को सूचना देकर खाता खोलने अथवा खाता/खाताओं में नाम परिवर्तन की औपचारिकता कृपया पूर्ण कर लेंगे।

आशा है समिति के समस्त अधिकारियों व सदस्यों के सम्मिलित प्रयास से विद्यालय का चतुर्दिक विकास होगा।
सधन्यवाद।

भवदीय

(अजय कुमार तिवारी)
21/3/22

प्रदेश सचिव

विद्या विकास समिति, झारखण्ड

प्रतिलिपि :-

1. सचिव/प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बरगंडा, गिरिडीह
2. प्रबंधक, संबंधित स्थानीय बैंक
3. विभाग प्रमुख